


12-7-24

पजावली पेश दुर्ब उभयपक्ष उपाधित, उभयपक्ष बहस हेतु अवसर चाहे है बहस हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है पजावली वास्ते बहस अंतिम हेतु नियत दिनांक 25-7-24 को पेश है।

25-7-24

पजावली पेश दुर्ब, उभयपक्ष के अधिवक्ता उपर ब्रूल वाद पत्र सं. 112/14 निर्णय दिनांक 25-7-24 स्वारीज किया जा चुका है। यह प्रा. पत्र अल्पर निषेधाज्ञा वाद का अभिन्न अंग होने से वाद के अभाव में चलने योग्य नहीं है। चूंकि वाद स्वारीज हो चुका है ऐसी स्थिति में यह प्रा. पत्र अल्पर निषेधाज्ञा चलने योग्य नहीं होने से स्वारीज किया जाता है। पजावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा